SEMESTER - I

COURSE - 2 - CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION
समसामयिक भारत एवं शिक्षा

UNIT - IV - POLICY FRAMWORK FOR PUBLIC EDUCATION IN INDIA
CONTEMPORARY ISSUES AND POLICIES.

- **RIGHT TO EDUCATION** शिक्षा का अधिकार

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतन्त्रता के बाद 26 जनवरी 1950 में नया संविधान लागू किया गया। संविधान के अन्तर्गत ऐसे कई अनुच्छेद Article लागू किए गए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करने की ओर इंगित करते हैं।

Article 21:

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीवन सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

"No Person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."

Article 41:

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य तथा विकास की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य प्राप्त करने, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या असमर्थता अथवा अन्य अभाव की स्थिति में जनसहायता प्राप्त करने के प्रभावी उपाय करेगा।

The state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work to education and to public

assistance in cases of unemployment, old age sickness and disablement and in other cases of undeserved want."

इसी प्रकार Article 45, Article 19 भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करते हैं। सन 2002 में 86वें संविधान के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21-क (Article 21-A) को सम्मिलित किया गया। जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया।

Article 21-A (21-क)

राज्य द्वारा छह से चौदह (6-14) वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यथानिर्धारित मौलिक अधिकार के रूप में दी जाएगी।

"The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the state may, by law, determine.

इस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21-क के अन्तर्गत परिकल्पित अनुवर्ती विधान का प्रतिनिधित्व करता है। जिसका अर्थ प्रत्येक बच्चे को कुछ आवश्यक मानदण्डों एवं मानकों को पूरा करने वाले औपचारिक विद्यालयों में सन्तोषप्रद एवं गुणवत्तापूर्ण पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है।

अनुच्छेद 21-क और शिक्षा का अधिकार (Right to education - R.T.E.) (विधेयक को 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की गई) 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। RTE अधिनियम के शीर्षक में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य' ये दो शब्द सम्मिलित किए गए हैं।

निःशुल्क शिक्षा (Free education) का अर्थ है किसी बालक को उसके माता-पिता सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय से अलग विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं, तो प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते। अनिवार्य शिक्षा (Compulsory Education)

Date
Page

6-14

शब्द से तात्पर्य सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय में 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दिलाने, उनकी उपस्थिति तथा उसे पूर्ण करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता से है

The constitution (86th Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the constitution of India to provide free and compulsory education to all children the age group of 6-14 as a Fundamental Right. The Right of Children to free and compulsory Education (RTE) Act, 2009, which represents the consequential legislation envisaged under Article 21-A, means that every child has a right to full time elementary education satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards.

Article 21-A and the Right to Education Act was passed in 4th August 2009 and came into effect on 1st April 2010. The title of the RTE Act incorporates the words 'free and compulsory'. 'Free Education' means that no child, other than a child who has been admitted by his or her parents to a school which is not supported by the appropriate Government, shall be liable to pay any kind or fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education.

प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रावधान
(Provisions for Primary Education)

RTE Act, 2009 में निम्नलिखित प्रावधान हैं.

(i) नजदीक के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। प्रारम्भिक शिक्षा से तात्पर्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

(ii) यह अधिनियम गैर दाखिल बच्चे की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का प्रावधान करता है।

(iii) यह निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केन्द्र, राज्य एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों की भागेदारी में उपयुक्त संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करता है।

(iv) शिक्षक-छात्र अनुपात (Pupil-Teacher Ratio - PTR) भवन निर्माण, स्कूल के कार्य-घंटों, शिक्षकों के कार्य घंटों से सम्बन्धित मानक एवं मानदण्ड निर्धारित करता है।

(v) यह सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट शिक्षक-छात्र अनुपात प्रत्येक स्कूल में लागू किया जाए तथा राज्य, जिला या ब्लॉक स्तर के पदों में ग्रामीण, शहरी का सन्तुलन को रखा जाए। यह शिक्षकों की तर्कसंगत नियुक्ति का प्रावधान करता है।

(vi) यह दस वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमण्डलों एवं संसद के चुनावों तथा आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य में शिक्षकों की नियुक्ति का निषेध करता है।

(vii) यह प्रशिक्षित शिक्षकों अर्थात् अपेक्षित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

(viii) यह शारीरिक दण्ड, मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कैपिटेशन फीस, शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण तथा मान्यता रहित विद्यालयों के संचालन का निषेध करता है।

(ix) यह संविधान में निर्धारित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास का प्रावधान करता है जो ज्ञान बालकों के ज्ञान क्षमता एवं प्रतिभा का निर्माण करते हुए उनके बहुमुखी विकास को सुनिश्चित कर सके।

Date
Page

Provissions of RTE Act 2009

1. Entitles every child of the age of six to fourteen years with the right to free and compulsory education in the a neighbourhood shool till completion of elementary education.
2. Makes provisions for a non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class.
3. Specifies the duties and responsibilities of appropriate Governments, local authority and parents in providing free and compulsory education, and sharing of financial and other responsibilities between the central and state Governments.
4. Lays down the norms and standareds relating inter alia to ~~pay~~ Pupil Teacher Ratios (PTRs), building and infrastructure, school working days and teacher working hours.
5. Rational deployment of teachers by ensuring that the specified Pupil-Teacher Ratio is maintained for each school, rather than just as an average of the State or District or Block, thus ensuring that there is no urban-rural imbalances in teacher postings.
6. It also provides for prohibition of deployment of teachers for non-educational work, other than decennial censuses, elections to local authority, state legislatures and parliament, and disaster relief.
7. Appointment of appropriately trained teachers i.e. teachers with the requisite entry level and academic qualifications.
8. Prohibits physial punishment and mental harassment, screening procedure for admission of children, capitation fees, private tution by teachers and running of schools without recognition.
9. Development of curriculum in consonance with the values enshrined in the Constitution, and which would ensure the all-round development of the child, building on the child's knowledge, potentiality and talent.

— x —